


राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट 2018)कैम्प लीमडी

--: आदेश :-

प्रार्थी के " खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लीमडी व भू.अ.नि. खुशवाडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार /नामस-तहसीलदार खुशवाडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लीमडी तहसील खुशवाडा व जिला डूंगरपुर की जमाबन्दी संवत् 2018-19 में खाता संख्या 209 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र० सं०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>लीमडी</u>	<u>209</u>	<u>भवानी लक्ष्मी शर्मा व लक्ष्मी शर्मा</u>	<u>भवानी लक्ष्मी शर्मा व लक्ष्मी शर्मा</u>


हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर खुशवाडा

दिनांक - 18/5/18

क्रमांक/राजस्व/2018/ 171-72
प्रतिलिपि :-

- 1- तहसीलदार खुशवाडा को भेंजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- पटवारी पटवार मण्डल लीमडी
- 3- रक्षित पत्रावली ।


हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर खुशवाडा